न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

रेफरेंस सं0 26/2008

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

.. प्रार्थी

बनाम

कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा (सहभागी सदस्यगण)
तनवीर अहमद पुत्र बाबू खॉ जाति मुसलमान निवासी दौसा तहसील व जिला दौसा

.. अप्रार्थी

रैफरेंस अंतर्गत धारा 82 राजस्थानभू–राजस्व अधिनियम–1956
उपस्थितः 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय   दिनांक 01.10.2024

1. संक्षिप्त में रैफरेन्स प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा तहसील दौसा के 26 सहभागी पाकिस्तानी विस्थापित शरणार्थियों के जीवन निर्वाह हेतु दिनांक 10.6.1949 को ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा में आराजी खसरा नंबर 29 रकबा 311 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 30 रकबा 74 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 67 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 71 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 74 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 75 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 77 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 78 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 92 रकबा 22 बीघा, खसरा नंबर 93 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 94 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 97 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 98 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 99 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 100 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 101 लगा0 147 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 151 लगा0 165 रकबा 42 बीघा 6 बिस्वा, कुल रकबा 556 बीघा 3 बिस्वा का आवंटन किया गया था। जिसके आधार पर उक्त आवंटित भूमि बाबत कृषि सहकारिता के अनुसार कृषकों की सोसायटी दलेलपुरा का दिनांक 27.6.49 को कमांक 423 एल/27.6.49 को पंजीयन हुआ। उक्त कृषि सहकारी संस्था कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि में खातेदारी इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात उक्त कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के प्रभाव में नही रहने के कारण राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 78 के अंतर्गत दिनांक 18.02.1986 को अवसायन हो जाने के फलस्वरुप सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ दौसा के आदेश दिनांक 31.3.96 के द्वारा उक्त पंजीयन निरस्त कर दिया गया। भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा तैयार खतौनी संवत 2041 में विभाग द्वारा सहकारी समिति दलेलपुरा के नाम दर्ज भूमिमें से 51.94 है0 भूमि कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के नाम अंकित रखते हुए शेषभूमि 87.86 है0 भूमि 17 व्यक्तियों के नाम अलग–2 खातेदारी में अंकित करने का कोईकानूनी क्षेत्राधिकार नहीं था। उक्त सहकारी संस्था का पंजीयन निरस्त हो जाने के कारण उक्त प्रश्नगत आराजी व्यक्तिगत खातेदारी में कानूनन अंकित नहीं की जा सकती थी तथा राज्य सरकार के हित में पुनर्ग्रहण की जानी चाहिए थी। इसी में उक्त 17 व्यक्तियों में अप्रार्थी के नाम खसरा नंबर 213 रकबा 2.20है. वाके ग्राम दलेलपुरा की खातेदारी अंकित कर दी गई है, जो कि उक्त कार्यवाही पूर्णतः अवैध है। ऐसी दशा में उक्त आराजी राजहित में पुनर्ग्रहित किये जाने योग्य है। साथ में आवंटन आदेश दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:32:30 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

10.6.49 व कॉपरेटिव सोसायटी पंजीयनआदेश दिनांक 27.6.49 भूमि एकीकरण संवत 2018 व 2019 की खतौनी खाता संख्या 13 एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ दौसा के आदेश दिनांक 31.3.96 व वर्तमान जमाबंदी आदि की प्रति उक्त रेफरेंस प्रकरण के साथ प्रस्तुत की, जिस पर अप्रार्थी की तलबी की गई।

2. प्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तथा राजस्थान सरकार द्वारा उक्त प्रकरण के अन्य समानान्तर प्रकरणों में पारित आदेशों एवं निर्णयों के अनुसार रैफरेन्स प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे।

3. राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तहसीलदार दौसा के आदेश दिनांक 10.6.1949 के द्वारा शरणार्थी 26 परिवारों को तत्कालीन ऑफिस काननूगो एवं पटवारी कस्बा दौसा द्वारा ग्राम दलेलपुरा स्थित सरकारी भूमि खसरा नंबर 29 रकबा 311 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 30 रकबा 74 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 67 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 71 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 74 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 75 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 77 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 78 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 92 रकबा 22 बीघा, खसरा नंबर 93 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 94 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 97 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 98 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 99 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 100 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 101 लगा0 147 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 151 लगा0 165 रकबा 42 बीघा 6 बिस्वा, कुल रकबा 556 बीघा 3 बिस्वा का सुपुर्दगीनामा तैयार कर आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 16.6.1949 को विस्थापित परिवारों को संभला दिया गया था। सरकार की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स में उल्लेख किया गया है कि आवंटित भूमि बाबत कृषि सहकारिता के अनुसार कृषकों की कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा का दिनांक 27.6.1949 को पंजीयन हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांकः 423 एल दिनांक 27.6.1949 है। अर्थात प्रार्थी सरकार की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स से यह सिद्ध होता है कि आवंटन व्यक्तिशः पहले हुआ है, तत्पश्चात सोसायटी का गठन हुआ है। दिनांक 16.6.1949 सुपुदर्गीनामें में आवंटी सोहनलाल पंजाबी को कब्जा संभलाने का उल्लेख है। आवंटी सोहनलाल पंजाबी द्वारा खातेदारी दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में सोसायटी बनाने एवं ऋण जमा करवा दिया जाना व्यक्त करते हुए खातेदारी दिये जाने का निवेदन किया गया है। तत्पश्चात भू–प्रबंध अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 30.11.1981 के अनुसार उपरोक्त आवंटित भूमि कुल रकबा 556 बीघा 03 बिस्वा में से अपील संख्या 90/1981 से 93/1981 स्वीकार कर खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये है। तत्पश्चात भ–प्रबंध अधिकारी जयपुर के आदेश के विरूद्ध सैटलमैंट आयुक्त के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 10.01.1990 को रैफरेन्स के आदेश दिये गये जिसका उल्लेख माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के रैफरेन्स संख्या 741/1997 से 744/1997 है। उक्त रैफरेन्स में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.4.1998 के अनुसार सैटलमैंट कमिश्नर के निर्णय को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय में आवंटन व्यक्तिशः पहले हुआ है, बाद में सहकारी समिति का गठन होना व्यक्त किया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध सहायक कलक्टर दौसा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 4709/2001 प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट को दिनांक 27.09.2001 को खारिज कर दिया गया। उक्त सिंगल बैंच के निर्णय के विरूद्ध सरकार की ओर से डबल बैंच में अपील संख्या 315/

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:32:30 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

2004 प्रस्तुत की गई, जिसको माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने दिनांक 21.9.2005 को खारिज कर दिया। पूर्व में इसी प्रकरण के समानान्तर अन्य प्रकरण में राजस्थान सरकार जरिये सहायक कलक्टर दौसा की ओर से एक रिट और प्रस्तुत की गई, जो रिट पिटीशन नं0 2025/1999 है, जिसको राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। इस न्यायालय द्वारा निर्णित रैफरेन्स प्रकरण सं. 22/2008 निर्णय दिनांक 20.10.2015 एवं रैफरेन्स प्रकरण सं0 03/2008 निर्णय दिनांक 1.1.2020 खारिज किया गया है।कार्यालय जिला कलक्टर दौसा की ओर से अन्य समानान्तर प्रकरण में न्यायालय के निर्णय की पालना के संबंध में तहसीलदार दौसा को राजस्व शाखा के माध्यम से पत्र कमांक: 2795 दिनांक 24.6.2014 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये है। इसी कम में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2013 की पालना के संबंध में राजकीय अधिवक्ता से विधिक राय ली गई थी। उक्त राय के अनुसार समानान्तर प्रकरण में निर्णय की पालना के लिए लिखा गया है। अन्य समानान्तर प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा रैफरेन्स संख्या:एलआर/5326/2015/दौसा निर्णय दिनांक 4.12.2015 द्वारा खारिज किया गया है। तत्कालीन जिला कलक्टर दौसा द्वारा अन्य समानान्तर प्रकरण में राजस्व शाखा के माध्यम से पत्र कमांक:892 दिनारंक 15.3.2014 के द्वारा मार्गदर्शन चाहे जाने पर राजस्व (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक:प.3(82)राज 7/2014 दिनांक 16.6.2014 एवं विधि (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश कमांक:प.2(1)(98)विधि/06/2014 दिनांक 6.6.2014 के अनुसार राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2013 को विधिसम्मत माना गया है एवं न्यायालय के आदेश की पालना करने के निर्देश प्रदान किये गये है। अन्य समानान्तर प्रकरण उनवानी किशोरीलाल वगै0 बनाम सरकार में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। इसी कम में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने रैफरेन्स संख्या:एलआर/5629/2018/दौसा सरकार बनाम कॉपरेटिव सोसायटी निर्णय दिनांक 24.5.2019 एवं अन्य समानान्तर प्रकरण में रैफरेन्स खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में हम तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स प्रकरण खारिज किये जाने योग्य समझते हैं।

4- उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार दौसा की ओर से आराजी खसरा नंबर 213 रकबा 2.20 है.वाके ग्राम दलेलपुरा के सम्बन्ध में प्रस्तुत रैफरेन्स प्रकरण संख्या 26/2008 समरूप प्रकृति का होने के कारण एवं उपरोक्त वर्णित समस्त निर्णयों एवं आदेशों से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ तहसीलदार दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:32:30 IST
Reason: SelfAttested

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा
जिला कलेक्टर दौसा